

**भण्डार क्रय कार्यालय**  
**गो० ब० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर**

पत्रांक: भ०क्र०का०/2021-22/1381

दिनांक: 20 अप्रैल, 2021


नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भण्डार क्रय कार्यालय विभाग के अन्तर्गत आने वाले विश्वविद्यालय केन्द्रीय भण्डार में नीचे दर्शायी गयी तालिका के विवरणानुसार विभिन्न प्रकार के स्कैप की नीलामी हेतु (माल जैसा है जहाँ है के आधार पर) मुहरबन्द/बन्द लिफाफे में निविदायें आमन्त्रित की जाती है:-

लॉट संख्या	निष्प्रयोज्य सामग्री/स्कैप का नाम	अनुमानित मात्रा
1.	वेस्ट पेपर/फाइल कवर/श्रेडिंग पेपर स्कैप	7769 कि०ग्रा०
2.	एल्युमिनियम स्कैप	275 कि०ग्रा०
3.	इलेक्ट्रिक/इलैक्ट्रानिक स्कैप	7085 कि०ग्रा०
4.	एक्जस्ट फैन विभिन्न साइज स्कैप	07 नम्बर
5.	सिलिंग फैन विभिन्न साइज स्कैप	589 नम्बर
6.	ब्राँस स्कैप	52 कि०ग्रा०
7.	प्लास्टिक/पी०वी०सी० स्कैप	1839 कि०ग्रा०
8.	एम०एस/जी०आई/सी०आई/ आयरन स्कैप	15802 कि०ग्रा०
9.	रबर टाइल्स स्कैप	45 कि०ग्रा०
10.	लकड़ी स्कैप	1807 कि०ग्रा०
11.	मोबिल आयल (जला हुआ)/काला तेल	300 लीटर
12.	बैट्री का स्कैप	150 कि०ग्रा०
13.	टेबिल फैन विभिन्न साइज स्कैप	03 नम्बर
14.	टायरों का स्कैप	90 नम्बर
15.	डी.ए. एवं आक्सीजन सिलेन्डर विभिन्न साइज स्कैप	10 नम्बर

इच्छुक व्यक्ति निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें भण्डार क्रय कार्यालय से रु० 2,000.00 + वस्तु एवं सेवा कर 12% = 2,240.00 मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक (निष्प्रयोज्य सामग्री की निविदा से सम्बन्धित शर्तों के बिन्दु 05 के अनुसार) जमा कर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 24.04.2021 से 17.05.2021 सांय: 5:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.gbpuat.ac.in](http://www.gbpuat.ac.in) से डाउन लोड कर सकते हैं। निविदा में प्रतिभाग करने के इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में विश्वविद्यालय केन्द्रीय भण्डार में प्रातः 10:00 बजे से 12:30 बजे एवं सांय 2:30 बजे से 4:30 बजे तक की अवधि में विक्रय की जाने वाली सामग्रियों/स्कैप का निरीक्षण करने के साथ-साथ किसी भी शंका निवारण हेतु सम्बन्धित अधिकारी के सम्पर्क शूत्र नम्बर 7500241530 पर सम्पर्क कर सकते हैं।


पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र, धरोहर राशि रु० 36,000.00 मात्र का यूको बैंक/स्टेट बैंक/यूनियन बैंक/पंजाब नेशनल बैंक का ड्राफ्ट, नियन्त्रक, गो०ब०पन्त कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर के नाम से बनाकर दिनांक 18.05.2021 को अपराह्न 5:00 बजे तक भण्डार क्रय कार्यालय में रक्षित निविदा पेटी/बाक्स में डाल सकते हैं उसके बाद कोई भी निविदा स्वीकार्य नहीं होगी प्राप्त निविदायें दिनांक 19.05.2021 को प्रातः 11:00 बजे निविदादाताओं के सामने अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में खोली जायेंगी।

  
प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय

**भण्डार क्रय कार्यालय**  
**गो० ब० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर**  
**विभिन्न प्रकार की निष्प्रयोज्य सामग्रियों की बिक्री हेतु निविदा प्रपत्र**

लॉट संख्या	निष्प्रयोज्य सामग्री/स्कैप का नाम	अनुमानित मात्रा	आवेदक द्वारा प्रेषित कर रहित दरें, प्रति किलो/ प्रति नग/प्रति लाट
1.	वेस्ट पेपर/फाइल कवर/श्रेडिंग पेपर स्कैप	7769 कि०ग्रा०	रु० ..... प्रति कि०ग्रा०
2.	एल्युमिनियम स्कैप	275 कि०ग्रा०	रु० ..... प्रति कि०ग्रा०
3.	इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक स्कैप	7085 कि०ग्रा०	रु० ..... प्रति कि०ग्रा०
4.	एक्जास्ट फैन विभिन्न साइज स्कैप	07 नम्बर	रु० ..... प्रति नम्बर
5.	सिलिंग फैन विभिन्न साइज स्कैप	589 नम्बर	रु० ..... प्रति नम्बर
6.	ब्राँस स्कैप	52 कि०ग्रा०	रु० ..... प्रति कि०ग्रा०
7.	प्लास्टिक/पी०वी०सी० स्कैप	1839 कि०ग्रा०	रु० ..... प्रति कि०ग्रा०
8.	एम०एस/जी०आई/सी०आई/ आयरन स्कैप	15802 कि०ग्रा०	रु० ..... प्रति कि०ग्रा०
9.	रबर टाइल्स स्कैप	45 कि०ग्रा०	रु० ..... प्रति कि०ग्रा०
10.	लकड़ी स्कैप	1807 कि०ग्रा०	रु० ..... प्रति कि०ग्रा०
11.	मोबिल आयल (जला हुआ)/काला तेल	300 लीटर	रु० ..... प्रति लीटर
12.	बैट्री का स्कैप	150 कि०ग्रा०	रु० ..... प्रति कि०ग्रा०
13.	टेबिल फैन विभिन्न साइज स्कैप	03 नम्बर	रु० ..... प्रति नम्बर
14.	टायरों का स्कैप	90 नम्बर	रु० ..... प्रति नम्बर
15.	डी.ए. एवं आक्सीजन सिलेन्डर विभिन्न साइज स्कैप	10 नम्बर	रु० ..... प्रति नम्बर
आवेदक/फर्म का पूरा नाम एवं पता:-			
टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नम्बर:-			
जी०एस०टी रजिस्ट्रेशन नम्बर (फर्म की दशा में) तथा (छायाप्रति संलग्न करें):-			
पैन कार्ड नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें):-			
आधार कार्ड नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें):-			
निविदा प्रपत्र राशि रु०:- 2000.00 + वस्तु एवं सेवा कर 12% = रु० 2,240.00			
ड्राफ्ट/बैंकर चैक का नम्बर एवं दिनांक:-			
धरोहर धनराशि रु०:- 36,000.00 (छत्तीस हजार रुपये मात्र)			
ड्राफ्ट/सावधि जमा प्रपत्र का नम्बर तथा दिनांक:-			

**नोट:-** आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क 2000.00 + वस्तु एवं सेवा कर 12% = रु० 2,240.00 एवं धरोहर धनराशि रु० 36,000.00 मात्र का ड्राफ्ट क्रमशः प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय एवं नियन्त्रक, गो०ब०पन्त कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर के नाम देय संलग्न करना अनिवार्य है धरोहर राशि का ड्राफ्ट जमा न करने पर आवेदक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। वस्तु एवं सेवा कर की राशि, (जिस लॉट/सामग्री पर जो भी दर होगी) सामग्री उठाने से पूर्व उच्चतम निविदादाता द्वारा जमा कर रसीद अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

  
 प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

**भण्डार क्रय कार्यालय**  
**गो० ब० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर**  
**निष्प्रयोज्य सामग्री की निविदा से सम्बन्धित शर्तें**

1. विक्रय हेतु प्रस्तावित निष्प्रयोज्य सामग्रियों का भौतिक अवलोकन/गुणवत्ता की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में विश्वविद्यालय के केन्द्रीय भण्डार से प्राप्त की जा सकती है।
2. निविदा में जहाँ पर दरें प्रति किलोग्राम मांगी गयी है, प्रति किलोग्राम, तथा जहाँ पर दरें प्रति नग मांगी गयी है, प्रति नग की दरें ही दी जायें अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती है।
3. निष्प्रयोज्य सामग्री की बिक्री, "माल जैसा है जहाँ है" के आधार पर की जायेगी तथा निविदा खोले जाने के बाद गुणवत्ता या अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जायेगी।
4. क्रय की गयी सामग्री पर देय वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान भी क्रेता को नियमानुसार अतिरिक्त देना होगा।
5. डाउन लोड किये जाने वाले निविदा प्रपत्र का शुल्क ₹ 2,000.00 + वस्तु एवं सेवाकर 12% = ₹ 2,240.00 मात्र यूको बैंक/स्टेट बैंक/यूनियन बैंक/पंजाब नेशनल बैंक, केवल पन्तनगर में देय का ड्राफ्ट जो प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय के पक्ष में निर्गत तथा पन्तनगर में देय हो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता द्वारा धरोहर राशि के रूप में रुपये 36,000.00 मात्र (छत्तीस हजार रुपये मात्र) यूको बैंक/स्टेट बैंक/यूनियन बैंक/पंजाब नेशनल बैंक का ड्राफ्ट, नियन्त्रक, गो०ब०पन्त कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर के नाम से बनाकर निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। उच्चतम निविदादाता को छोड़कर शेष सभी निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि का ड्राफ्ट उसी दिन/अगले कार्य दिवस में निविदा खोलने के बाद वापस कर दिया जायेगा। धरोहर राशि जमा न करने पर निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगी।
7. उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को पूरे माल का 25% धनराशि निविदा खोले जाने अथवा बोली छूटने के दिन ही जमा करनी होगी।
8. क्रयित माल के पूरे मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर (GST), जो भी देय होगा, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त पत्र प्रेषण के 10 दिन के अन्दर क्रेता अपने स्तर से जमा कर, जमा रसीद की छायाप्रति भण्डार क्रय कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा पूरे क्रयित माल की धनराशि विश्वविद्यालय के मुख्य खाते में जमा करने के 15 दिन के अन्दर उसे क्रयित माल उठाना होगा।
9. माल की ढुलाई, श्रम शक्ति एवं यातायात का प्रबन्ध स्वयं क्रेता को करना होगा।
10. यदि उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता निर्धारित समय के अन्दर माल नहीं उठाता है तो अगले 07 दिन तक क्रयित मूल्य का 10% अतिरिक्त भण्डार अधिभार जमा कराते हुए क्रयित माल उठाने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है उसके उपरान्त भी क्रेता द्वारा माल न उठाने की दशा में उसकी धरोहर राशि तथा 25% जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
11. निष्प्रयोज्य सामग्री की बिक्री हेतु गठित समिति किसी भी निविदादाता की निविदा को जो समिति की दृष्टि में किसी भी कारण अयोग्य समझा जायेगा निरस्त कर दी जायेगी।
12. विश्वविद्यालय को, बिना कारण बताये विज्ञापित बिक्री की जाने वाली सामग्री को विक्रय करने/न करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय के कुलपति जी एक मात्र मध्यस्थ होंगे जिनका निर्णय दोनों पक्षों (क्रेता तथा विक्रेता) को मान्य/स्वीकार करना होगा।
14. क्रेता जिसके नाम से निविदा स्वीकृत होगी क्रयित माल विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर किसी भी दूसरे अन्य व्यक्ति अथवा परिसर में आवासित संस्था को हस्तारित नहीं करेगा।
15. सामग्री का उचित मूल्य प्राप्त न होने पर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निविदा/बोली निरस्त की जा सकती है।
16. सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा विक्रय की जाने वाली सामग्रियों की आंकलित धनराशि से कम धनराशि में विज्ञापित सामग्रियों का विक्रय नहीं किया जायेगा।
17. क्रेता द्वारा बिक्रीत माल को उठाने, काटने, तोड़ने अथवा ले जाते समय विश्वविद्यालय की किसी भी प्रतिभूति की क्षति यदि होती है तो उसकी भरपाई क्रेता को करनी होगी।

  
प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय